न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

बइजलास - इन्द्राजसिंह R.A.S.

वाद संख्या - 80/2019

निर्णय दिनांक

1. विनोद
2. कृष्णकुमार] पुत्रगण मांगेराम जाति जाट निवासीगण किरतान तहसील राजगढ़ जिला चूरू

-वादीगण

बनाम

1. मांगेराम पुत्र मोकाराम जाति जाट निवासी किरतान तहसील राजगढ़ जिला चूरू

2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा राजगढ़ जरिए शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा राजगढ़ जिला चूरू

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला चूरू

-प्रतिवादीगण

4. मंजूदेवी
5. बिमाला
6. सुमन
7. निर्मला] पुत्रियाँ मांगेराम जाति जाट निवासी किरतान तहसील राजगढ़ जिला चूरू

- गौण प्रतिवादीनी

दावा घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act.

उपस्थिति :- 1. श्री कुन्दन यादव अधिवक्ता वास्ते वादीगण

2. " फतेहचन्द पूनियाँ अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीनी

3. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं. 3

निर्णय

प्रकरण से सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नं० 151 तादादी 0.0100 है०, खसरा नं० 152 तादादी 0.0500 है० तथा खसरा नं० 153 तादादी 11.44 हैक्टयर कुल तादादी 11.50 है० रोही मौजा किरतान जो के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व गौण प्रतिवादीनी संख्या 4 ता 7 की दादालाई कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 तथा गौण प्रतिवादीनी सं. 4 ता 7 हिन्दू धर्म को मानने वाले तथा

हिन्दू धर्म की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार दादालाई कृषि भूमि में पुत्र/पुत्री/पौत्र व पौत्रीयों को जन्म से ही हक व अधिकार हासिल होते हैं। विवादित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीनीयों की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्त की रही है जो पूर्व में वादीगण के व गौण प्रतिवादीनीयों के दादा मोकाराम के खातेदारी की थी तथा उक्त मोकाराम की मृत्यु के बाद विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज हुई। विवादित कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी सं. 4 ता 7 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त मोकाराम के स्वर्गवास के बाद विवादित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 तथा गौण प्रतिवादी सं. 4 ता 7 के नाम ब.हि.ब. विरासतन दर्ज होनी चाहिए थी मगर मांगेराम जो कि परिवार का कर्त्ता खान-दान होने के कारण वादीगण के दादा मोकाराम का स्वर्गवास होने के बाद उक्त दादालाई कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 167 दिनांक 20.9.1996 तथा नामान्तरकरण संख्या 197 दिनांक 197 दिनांक 3.7.1998 रोही ग्राम किरतान वादीगण के पिता व दादी के ब.हि.ब. दर्ज हुआ परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 मांगेराम कर्त्ता खान-दान होने के कारण हमारा हिस्सा अकेले के नाम दर्ज हो जाने से अपने आपको अकेला सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार मानने लगा है तथा वादीगण को ऐलानियाँ धमकी देता है कि उक्त कृषि भूमि मेरे अकेले के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है इसलिए वादीगण को उनका 1/7 - 1/7 हिस्सा को काश्त नही करने देगा तथा अन्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति को रहन, बेचान करेगा ऐसी स्थिति में वादीगण अपने 1/7 - 1/7 हिस्से को अलग से राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को काफी बार कहा व कहलवाया कि विवादित कृषि भूमि में गलत रूप से अकेले के नाम दर्ज हिस्सा को वादीगण के हिस्से के मुताबिक 1/7 - 1/7 हिस्सा तथा अपने 1/7 तथा गौण प्रतिवादीनी सं. 4 ता 7 के प्रत्येक के 1/7 - 1/7 हिस्सा को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लेवे मगर प्रतिवादी सं. 1 मांगेराम आज कल - आज कल की कह कर टाल मटोल करता रहा व ऐसा मानने से दिनांक 31.3.2019 को ब मुकाम किरतान में साफ इन्कार कर दिया लिहाजा इसी दिनांक से वादीगण को वादकारण व वादाधार हासिल है। विवादित कृषि भूमि बैंक के हक में रहन है मगर वाद पत्र के अनुतोष में विवादित कृषि भूमि बैंक के बैंक के हित रहन बदस्तूर रखी जा रही है जिसकारण वाद पत्र के अनुतोष से बैंक के हित प्रभावित नही होते है जिस कारण बैंक आवश्यक पक्षकार नही होने से बैंक को पक्षकार वाद संयोजित नही किया गया है लिहाजा घोषित किया जावे कि विवादित कृषि भूमि ख० न० 151 तादादी 0.0100 हे० ख० न० 152 तादादी 0.0500 हे०

व ख० न० 153 तादादी 11.44 है० कुल तादादी 11.50 है० रोही मौजा किरतान की कृषि भूमि में वादीगण 1/7 - 1/7 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 1 1/7 हिस्से का व गौण प्रतिवादीती सं. 4 ता 7 प्रत्येक 1/7 - 1/7 हिस्से की खातेदार काश्तकार हैं आदि-आदि पेश कर इसी अनुरूप घोषित किया जा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद का अनुतोष चाहा गया।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्रतिवादीगण को समुल्क तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीती सं. 4 ता 7 स्वयं उपस्थित अदालत हो कर इकबाल दावा पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद पत्र के अभिवचनों के अनुसार विवादित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी व गौणप्रतिवादीतीयों के परिवार की पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पूर्व में वादीगण के दादा मोकाराम के खातेदारी की रही है तथा विरासतन नामान्तरकरण के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी में दर्ज हुई है जिस तथ्य की पुष्टि प्रतिवादी व गौणप्रतिवादीतीयों द्वारा प्रस्तुत इकबाल दावा से होती है तथा वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार बैंक के हित प्रभावित नही होते है ऐसी सूरत में वाद वादी प्रस्तुत इकबाल दावा से पुष्ट व प्रमाणित होता है जिस कारण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा घोषित किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि ख० न० 151 तादादी 0.0100 है० ख० न० 152 तादादी 0.0500 है०, ख० न० 153 तादादी 11.44 है० कुल तादादी 11.50 है० वाके रोही किरतान तहसील राजगढ़ जिला चूरू में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज खातेदारी में वादीगण प्रत्येक 1/7 - 1/7 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 1 1/7 हिस्से का व गौण प्रतिवादीती सं. 4 ता 7 प्रत्येक 1/7 - 1/7 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा विवादित कृषि भूमि संबंधित बैंक के रहन बदस्तूर रहेगी। खर्चा वाद पक्षकारान अपना - अपना वहन करेंगे। पर्चा डिकरी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)